फर्द अहकाम

कार्यालयः— न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
अपीलार्थीः— मीना बड़गुर्जर बनाम गणेशलाल
किस्म मुकदमाः— भरण पोषण पत्रावली संख्याः— 12/23 सन्ः— 2023

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सुचनाऐं जारी की गई।
	01.07.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलाण्ट अधिवक्ता श्री कुन्दनसिंह सोनी उपस्थित। जिनके द्वारा दिनांक 27.05.2024 को एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण विड्रो करने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट गिर्वा के निर्णय दिनांक 01.08.2023 मु.स. 19/2022 भरण पोषण के विरूद्ध आप न्यायालय में रेस्पोडेंट के विरूद्ध पेश की। रेस्पोडेंट गणेशलाल का स्वर्गवास दिनांक 04.05.2024 को हो गया। रेस्पोडेंट गणेशलाल की मृत्यु हो जाने से उक्त मामले में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है क्योंकि उपखण्ड मजिस्ट्रेट गिर्वा का आदेश स्वतः ही निरस्त हो गया है। अतः उक्त मामले में कार्यवाही ड्रोप किये जाने का आदेश प्रदान करे। उपस्थित अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रकरण में रेस्पाडेंट का स्वर्गवास हो गया है एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गिर्वा को आदेश स्वतः ही निरस्त हो जाने से अपीलाण्ट ओर कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विड्रो से स्वीकार किया जाकर पत्रावली की कार्यवाही को इसी स्तर पर बन्द किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट गिर्वा की पत्रावली प्रेषित की जावे। प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद किता शुमारी दफ्तर दाखिल हो। (अरविन्द कुमार पोसवाल) जिला कलक्टर उदयपुर	